यालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कामा जिला भरतपुर

व इजलाश श्री विनोद कुमार मीणा आर0ए0एस उपखण्ड अधिकारी कामां

दमा नं0 25/2020

यरा पत्नि शेरमौहम्मद जाति मेव निवासी ग्राम पालडी तहसील कामां जिला भरतपुर

वादनी

बनाम

-आसमौहम्मद
-शेरमौहम्मद
-याकूब
-सप्पी
-अलीमौहम्मद पिसरान मगरखां जाति मेव निवासी पालडी तहसील कामां

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88. 89 आर0टी0एक्ट

उपस्थित अधिवक्ता
1-श्री वासुदेव सिह वादी
2-श्री विष्णु कुमार शर्मा प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांक: 10.02.2021

वादी अधिवक्ता द्वारा दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर0टी0एक्ट के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आराजी खसरा नम्बर 173/0.17 व 517/190/0.25 किता 2 रकवा 0.42 वाके ग्राम आराजी सतवास तहसील कामां में स्थित आराजी हमारे ससुर व प्रतिवादीगण के पिता मगरखां के कब्जे काश्त की खातेदार की है । करीब 12-13 वर्षो से वादनी के कब्जे काश्त की चली आ रही है । करीब 14-15 साल पूर्व हमारे बुजुर्ग खातेदार मगर खां पर पारवारिक व खेती की लागत सम्बन्धित करीब डेढ सवा लाख रूप्ये का कर्ज हो गया था । उस कर्जे की अदायगी की बावत उन्होने अपने सभी वारिसान से कई बार कहा लेकिन सभी आना कानी करते रहे । पैदावार को बराबर बाट लेते मगर कर्जे की बावत नजर चुराते रहे कर्जा ब्याज के चलते बढता जा रहा था । इसलिए हमारे बुजुर्ग के पास सिवाय आराजी में से कुछ हिस्सा आराजी बेचने के अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं था । उक्त गर्ज के लिए ससुर वादनी मगर खां दीगर व्यक्तियों से कुछ आराजी का सौदा करने लगा तो वादनी ने इस समस्या के लिए अपने मायके वालों से बात की । मायके वाले हमारे यहां पालडी आये और हमारे बुजुर्ग मगर खां से कहा कि आप हमसे पैसों ले लो और साल छः माह में जब भी पैदावारी से आपका सम्पट बैठ जाये हमें वापिस कर देना । इस पर ससुर वादनी से कहा कि साल छ माह तो मुझे मेरे परिवार से 10 साल भी कोई उम्मीद नहीं है अच्छा यही रहेगा कि मुझे तो आराजी का कुछ हिस्सा बेचना भी है और की जगह आप ही बयनामा करालें । कुछ समय बाद मरे पीहर वाले पैसे लेकर आ गये पूरे कर्जे की अदायगी कर 2 लाख रूप्ये अदायगी कर बजाय अपने नाम बयनामा कराने के वादनी के नाम दिनांक 15.6.2007 उप पजीयक कामां के यहां तस्दीक करा दिया । यह कहकर आराजी हमारी लडकी पर रहेगी पर परिवार तो मगर खां का ही है यह

उपखण्ड अधिकारी
कामां (भरतपुर)

Scanned with CamScanner

बदनाम नहीं होगी कि आराजी दूसरी जगह बिक गयी । उसी दिन से आराजी मुतदाविया पर पृथक से वादनी का ही वाहैसियत खातेदार काश्तकार कब्जा है और वादनी पृथक से दोनों नम्बरान पर काश्त कर रही है । वादनी के बयनामा से लेकर सम्वत हाल तक आराजी लोन में होने की वजह बयनामा का नामान्तकरण नहीं हो पाया । आराजी पर रहन बदस्तूर रहा है । ससुर वादनी मगर खां फोत हो गया। जिस पर प्रतिवादीगण ने वादनी की आराजी को हडपने की नीयत से बिला इल्म वादनी आराजी को रहनफक कराकर बिला इल्म वादनी के कब्जे काश्त खरीद शुदा आराजी पर भी विरासत का दाखिला खारिज नम्बर 1294 अपने नाम करा लिया है । क्योंकि परिवार के वे ही कर्ता धर्ता थे जिसके हकूक वादनी पर कुठाराघात हो रहा है और उक्त इन्द्राज दा0ख0 व मुकावले हकूक वादनी वातिल व बेअसर है जिसे वादनी कलमजन कराकर अपने नाम खातेदारी काश्तकारी करा पाने की मुस्त हक है। दाखिल खारिज प्रतिवादीगण ने अपने नाम करा लिया है और इस गलत इन्द्राज की वजह से प्रतिवादीगणों के दिल में बदयान्ती आ गयी है जिसकी ऐलानियां धमकी उन्होनें दिनांक 15.7.2020 को दे दी है कि वे आराजी मुतदाविया को रहन वय मुन्तकिल करके रहेगें क्योकि आराजी उनके नाम है अगर प्रतिवादीगण अपने इस इरादे में कामयाब हो गये तो वादनी को ऐसी अपरमित क्षति होगी । जिसकी पूर्ति जरिये नकद से न की जा सकेगी ।

आराजी मुतदाविया खसरा नम्बर 173/0.17 व खसरा नम्बर 517/190/0.25हैक्ट0 वाके ग्राम मौजा आराजी सतवास तहसील कामां वादनी ने दिनांक 15.6.2007 को जरिये बयनामा खातेदार मगर खां से रूबरू उप पंजीयक कामां के यहा बयनामा तस्दीक कराकर खरीदी है जिस पर उसी दिन से वादनी का कब्जा है और कानूनन उसे खातेदारी के अधिकार प्राप्त हो चुके हैं लेकिन आराजी लोन में होने की वजह से प्रार्थीया के हक में दाखिल खारिज नहीं हो पाया था और परिवार में कर्ता धर्ता प्रतिवादीगण ही है क्योंकि प्रार्थीया एक औरत है जो अपने घरेलू कार्यो में लगी रहती है । इसलिये प्रतिवादीगण ने गलत तरीके से बदनियती से खातेदारी अपने नाम बिला इल्म वादनी का करा लिया है । और उसे कलमजन कराकर प्रार्थीया अपने नाम दाखिल खारिज कराने की अधिकारिनी है । आराजी खसरा नम्बरान 173/0.17 व 517/190/0.25 किता 2 रकवा 0.42 वाके ग्राम सतवास तहसील कामां पर चल रहे गलत इन्द्राज को कलमजन कर वादनी के नाम राजस्व रिकार्ड में खातेदारी काश्तकारी किये जाने के आदेश फरमाया जावे । तथा जरिये हुक्म दवामी से पाबन्द फरमाया जावे कि आराजी मुत0 कब्जे काश्त वादनी की को दीगर व्यक्तियो को रहनवय मुन्तकिल न करें । ऐसा कोई कार्य नहीं करें जिससे वादनी जायल हो ।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया । प्रतिवादीगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित आये । तथा एक राजीनामा पेश किया कि हम सभी पक्षकासन में आपसी सहमति से व खुशी से राजीनामा इस प्रकार हो गया है कि आराजी खसरा नम्बर 173/0.17 व 517/190/0.25 किता 2 रकवा 0.42 हैक्ट0 वाके ग्राम आराजी सतवास तहसील कामां वादनी की ही कब्जे काश्त में रहेगी । क्योंकि हमारे परिवार पर घरेलू खर्चो को लेकर कुछ कर्ज हो गया था तो हमे आराजी बेचनी थी लेकिन वादनी ने अपने मायके से पैसे मगवाकर कर्जे की रकम चुकता की तथा सभी परिवार ने हंसी खुशी वादनी के हक में सहमति से बयनामा कराया था । उस वक्त हमारे पिता मगर खां मौजूद थे , उन्होंने ही सभी की सहमति से बयनामा कराया था । अब वादनी के नाम उक्त दोनों नम्बरान की खातेदारी काश्तकारी किये जाने में हम प्रतिवादीगण का किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है ।

वादनी ने साक्ष्य में बयनामा मगरखा पुत्र फूले जाति मेव निवासी ग्राम पालडी बनाम केता सायरा पत्नि शेरमौहम्मद जाति मेव निवासी पालडी ,नामान्तकरण संख्या 1294 दिनांक 5.9.2018,मगरखां पुत्र फूलू कौम मेव निवासी ग्राम पालडी से खातेदार आसमौहम्मद शेर मौहम्मद, याकूब, सप्पी, अलीमौहम्मद पिसरान मगर खां, सरीपन, हफीजन पुत्रीयान मगर खां बहिस्सा बराबर कौम मेव साकिन पालडी तहसील कामां एवं जमाबन्दी सं0 2070–2073 पेश किये है ।

उपखण्ड अधिकारी
कामां (भरतपुर)

Scanned with CamScanner

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उपलब्ध दस्तावेज एवं राजीनामा का अवलोकन केया । राजीनामा दोनों पक्षकारान मय अधिवक्ता की सहमति से लिखा गया है । आराजी खसरा नम्बर 173/0.17 व 517/190/0.25 किता 2 रकवा 0.42 हैक्ट0 वाके ग्राम आराजी सतवास तहसील कामां प्रतिवादीगण के पिता मगरखां पुत्र फूलू ने बयनामा सायरा पत्नि शेरमौहम्मद जाति मेव निवासी पालडी तहसील कामां को कराया तथा प्रतिवादीगण के पिता के फौत जाने पर विरासत के दाखिल खारिज के द्वारा प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड आया । चूंकि दोनों पक्षों में राजीनामा आपसी सहमति से दावा वादनी के पक्ष में डिक्री किया जाना उचित है ।

आदेश

अतः दावा वादनी डिक्री किया जाता है कि आराजी खसरा नम्बर 173/0.17 व 517/190/0.25 किता 2 रकवा 0.42 हैक्ट0 वाके ग्राम आराजी सतवास तहसील प्रतिवादीगण के नाम को कलमजन किया जाकर वादनी सायरा पत्नि शेरमौहम्मद जाति मेव निवासी पालडी ने नाम राजस्व रिकार्ड में अमल किया जावे है । पत्रावली नम्बर से कम की जाकर वाद तकमील तामील दाखिल दफतर हो ।

(विनोद कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
कामां (भरतपुर)

Scanned with CamScanner